न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शामली ।

उपस्थित – **इन्द्र प्रीत सिंह जोश, उच्चतर न्यायिक सेवा।**

(J.O. Code- UP 1894)

अग्रिम जमानत प्राथना पत्र सं0–**871 / 2026**

ज्योति पुत्री रामकुमार प्रति राज्य,

मु0अ0सं0–217 / 2026,
धारा–109(1),115(2),333 बी.एन.एस.
थाना–शामली, जिला शामली।

दिनांकः–19.06.2026

आवेदिका / अभियुक्ता **ज्योति** की ओर से अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ। आवेदिका / अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता नीरज चौहान एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक उपस्थित।

उक्त आवेदिका / अभियुक्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र के हाशिये पर आज दिनांक को इस आशय का पृष्ठाकंन किया गया है कि वे वर्तमान अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर बल देना नहीं चाहते हैं। ऐसी स्थिति में अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निस्तारित किया जाना न्यायोचित है। अतः आवेदिका / अभियुक्ता की ओर से बल न दिये जाने के कारण उक्त अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

तदानुसार अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

INDERPREET JOSH
Digitally signed by INDERPREET JOSH
Date: 2026.06.25 10:40:15 +01'00'

(इन्द्र प्रीत सिंह जोश)
सत्र न्यायाधीश,
शामली।

न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शामली ।

अग्रिम जमानत प्राथना पत्र सं0–803/2026

शहजाद पुत्र इलियास प्रति राज्य,

मु0अ0सं0–49/2026,
धारा–352,109(1),191(3),191(2),191(1) बी.एन.एस. एवं
7 क्रिमि. ला एमेंडमेंट एक्ट,
थाना–बाबरी, जिला शामली।

दिनांकः–29.05.2026

आवेदिका/अभियुक्ता **शहजाद** की ओर से अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ। आवेदिका/अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता रवि वालिया एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक उपस्थित।

आवेदिका/अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि इस मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट का वादी मुकदमा राजेश कुमार, उपनिरीक्षक, थाना बाबरी, जिला शामली है, जिसके द्वारा इस मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट इन तथ्यों पर दर्ज करायी गयी है कि उनको पता चला कि मोहल्ला कुरैशियान में दो मोटर साईकिलों पर सवार तीन–तीन व्यक्तियों के दो गुटों में एक–दूसरे को जान से मारने की नीयत से फायरिंग हुई, जिसमें एक व्यक्ति गोली लगने से घायल हुआ है, उसके द्वारा घटना स्थल से मोटरसाईकिल भी बरामद की गयी। उसके उपरांत जो व्यक्ति घायल हुआ था, वह सरकारी अस्पताल में अपने इलाज हेतु गया, परन्तु घायल व्यक्ति अस्पताल से इलाज कराने के बाद चला गया। जो कि इस वर्तमान मामले का सहअभियुक्ता गौरव है। आवेदिका/अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा एक अन्य मामले की न्यायालय में प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति दाखिल की गयी है, जिसका मु0अ0सं0 98/2026 है, इस प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार सहअभियुक्ता गौरव के घर पर आकर इस मामले के सहअभियुक्तागण द्वारा फायरिंग की गयी। इस प्रकरण में पुलिस के द्वारा दिनांक 23.04.2026 के झगडे में, जिसमें दोनों पक्ष वांछित थे, दोनों पक्षो के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी है। आवेदिका/अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी बताया गया कि जो इस मामले के पीडित सहअभियुक्ता गौरव के पैर में गोली लगी है।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक द्वारा बताया गया कि सहअभियुक्ता का पूर्व आपराधिक इतिहास भी है तथा इसके विरूद्ध सन् 2021 से लेकर अब तक पांच मुकदमे दर्ज है और इनके द्वारा समय की याचना की गयी।

इसके अतिरक्त आवेदिका/अभियुक्ता की ओर से एक अन्य प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई होने तक आवेदिका/अभियुक्ता को अन्तरिम जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी और यह कहा गया कि आवेदिका/अभियुक्ता विवेचना में सहयोग करेगा और विवेचक के बुलाये जाने पर उनके समक्ष उपस्थित होकर विवेचना में सहयोग करेगा।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए आवेदिका/अभियुक्ता को निर्देशित किया जाता है कि यदि मामले के विवेचक द्वारा विवेचना हेतु बुलाया जाता है तो वह सम्बन्धित विवेचक के समक्ष उपस्थित होकर विवेचना में सहयोग करेगा तथा विवेचक के समक्ष उपस्थित रहेगा, इस शर्त पर आवेदिका/अभियुक्ता को अग्रिम नियत दिनांक तक अन्तरिम जमानत प्रदान की जाती है।

सम्बन्धित विवेचक/थानाध्यक्ष को निर्देशित किया जाता है कि उक्त मामले में यदि आवेदिका/अभियुक्ता को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे अंकन पचास हजार रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र प्रस्तुत करने पर रिहा किया जाये तथा विवेचक मय केस डायरी नियत दिनांक को न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र सुनवाई हेतु दिनांक 16.06.2026 को पेश हो।

(इन्द्र प्रीत सिंह जोश)
सत्र न्यायाधीश,
शामली।